न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 सौम्या झा
आई0ए0एस0

प्र.सं. 26/2026 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
बनारसी पुत्र प्रेम जाति बैरवा निवासी खान भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा

.....प्रार्थी

बनाम

1. किशोरीलाल पुत्र बिरदया जाति बैरवा निवासी खान भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा
2. जगदीश पुत्र छाजू
3. रामकिशोर पुत्र छाजू
4. ओमप्रकाश पुत्र छाजू
5. कमला पत्नि प्रेम
6. विनोद पुत्र प्रेम
समस्त जाति बैरवा निवासी खान भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा
7. श्रीमति संजू मीना सहायक कलेक्टर दौसा जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बउनवानी प्रकरण किशोरीलाल बनाम जगदीश वगै0 मुकदमा नंबर 10/ 26 जो सहायक कलेक्टर दौसा की न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें गत तारीख पेशी 10.04.2026 नियत थी को निष्पक्ष सुनवाई हेतु अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री दिनेश कुमार सैनी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

—:: निर्णय ::— दिनांकः 26.5.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा में विचाराधीन मुकदमा उनवानी किशोरीलाल बनाम जगदीश वगै0 मु0नं0 10/2026 को किसी भी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सहायक कलक्टर दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा की न्यायालय में एक वाद किशोरीलाल बनाम जगदीश वगैरहा मुकदमा नंबर 10/26 विचाराधीन है जिसमें गत तारीख पेशी 10.04.2026 नियत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सहायक कलेक्टर दौसा से साज व मिलीभगत कर रखी है व प्रार्थी ने अप्रार्थी 1 को पीठासीन अधिकारी सहायक कलेक्टर दौसा के आवास व चैंबर में मिलते जुलते देखा है व बातचीत करते हुए देखा है तथा किशोरीलाल अप्रार्थी गांव में सरेआम कहता है कि मेरी सहायक कलेक्टर दौसा से बातचीत हो गई है तथा वो शीघ्र से शीघ्र प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में ही करेगें। तथा पीठासीन अधिकारी ने भी दिनांक 10.04.2026 के बाद कोई प्रार्थी को तारीख पेशी नही दी जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि सहायक कलेक्टर दौसा ने अप्रार्थी नंबर 1 से मिलीभगत कर ली है व बिना तारीख दिये ही प्रकरण का निस्तारण करने पर तुले हुए है। इसलिए प्रार्थी को सहायक कलेक्टर दौसा के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए प्रकरण को निष्पक्ष सुनवाई व निष्पक्ष निर्णय हेतु अन्यत्र सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके व प्रकरण का

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमानुसार निर्णय हो सके। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर सहायक कलेक्टर दौसा की न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण किशोरीलाल बनाम जगदीश वगैरहा मुकदमा नंबर 10/26 की पत्रावली शीघ्र स्थानान्तरित की जाकर अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई व निष्पक्ष निर्णय हेतु स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। सहायक कलक्टर दौसा के द्वारा प्रकरण में नियमोचित कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।
5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर गलत एवं मनगढन्त तथा बेबुनियादी आरोप लगाये गये है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।
6. सहायक कलक्टर दौसा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त मुकदमा नंबर 10/2026 उनवानी प्रकरण किशोरीलाल बनाम जगदीश दावा व टीआई पत्रावली दिनांक 25.3.2026 को पेश हुई थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से नोटिस जारी कर भिजवाये गये थे। तामील नोटिस अप्रार्थी सं0 2 रामकिशोर पुत्र छाजू, 3 ओमप्रकाश पुत्र छाजू, 4. कमला पत्नि स्व0 प्रेम, 5 विनोद पुत्र स्व0 प्रेम, बनारसी पुत्र स्व0 प्रेम समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम खान भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा के द्वारा नोटिस लेने से मना करने के उपरांत रजिस्टर्ड ए0डी0 पुनः प्राप्त हुई है। रजिस्टर्ड ए.डी. से जारी नोटिस लेने से इन्कार अंकित होकर प्राप्त होने के कारण अप्रार्थी सं0 2 से 6 के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.04.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 जगदीश पुत्र छाजू के जवाब में है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.4.2026 नियत है। अप्रार्थी सं0 6 के द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, निराधार व झूंठे है। न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण को अन्यत्र किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र तथा सहायक कलक्टर दौसा की दिनांक 24.4.2026 की बिन्दुवार टिप्पणी का अवलोकन किया गया।

- प्रार्थी का मुख्य आधार यह है कि अप्रार्थी सं0 1 की पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत है तथा इस कारण प्रार्थी को निष्पक्ष सुनवाई की आशंका है।
- प्रार्थी द्वारा उक्त आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल आशंका, कथित मौखिक कथन अथवा अप्रमाणित आरोप के आधार पर किसी न्यायालय से पत्रावली स्थानान्तरित करना न्यायोचिंत नहीं होगा। स्थानान्तरण की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना उचित है जब अभिलेख पर युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण उपलब्ध हो।
- सहायक कलक्टर दौसा का टिप्पणी से यह प्रकट होता है कि मूल प्रकरण दिनांक 25.3.2026 को प्रस्तुत हुआ, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 से नोटिस जारी किये गये, कुछ अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किये जाने पर दिनांक 10.4.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण में आगे की कार्यवाही नियत है। अतः अभिलेख पर यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने से इन्कार किया गया है या पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की गई है जिससे वास्तविक एवं युक्तियुक्त पक्षपात की आशंका स्थापित होती हो।
- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के अंतर्गत कलेक्टर को अधीनस्थ राजस्व न्यायालय से प्रकरण वापस लेकर स्वयं सुनने अथवा किसी अन्य सक्षम अधीनस्थ राजस्व

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय को स्थानान्तरित करने की शक्ति अवश्य है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में उक्त शक्ति के प्रयोग हेतु पर्याप्त आधार अभिलेख पर सिद्ध नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं0 26/2026 अस्वीकार/खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर दौसा मूल प्रकरण सं0 10/2026 तथा सम्बद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा/टीआई प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार पक्षकारों को समुचित अवसर देते हुए शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में मूल वाद के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.5.2026 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official